उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा विकलांग छात्रवृति हेतु आवेदन करने वाले छात्रों द्वारा पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न

1) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों / कॉलेजों / संस्थानों में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं के लिए यह योजना उपलब्ध है?

यह योजना भारतीय विश्वविद्यालयों / कॉलेजों / संस्थानों में नामांकित अनुसूचित जाति /जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, विकलांग तथा उत्तराखंड राज्य के मूल व स्थायी निवासी छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध है।

2) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई आवश्यकता है?

हां, उत्तराखंड राज्य का मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि को ऑनलाइन आवेदन फार्म के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

3) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई आवश्यकता है?

हां, छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि को ऑनलाइन आवेदन फार्म के साथ अपलोड करना होगा।

4) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड नंबर की कोई आवश्यकता है?

हां, छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आधार नंबर को ऑनलाइन आवेदन फार्म में अंकित करना होगा। आधार नंबर की वेलिडेशन(जांच) सफलता पूर्वक होने के बाद ही सही पाये गए आधार नंबर वाले पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।

5) क्या पात्र संस्थानों के एकीकृ त (integrated) पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्र /छात्रा आवेदन करने के लिए पात्र हैं?

हाँ, एकीकृत(integrated) पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र/छात्रा आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

6) क्या दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्रा छात्रवृति लेने के लिए पात्र है (दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम, जिसे कभी-कभी संयुक्त डिग्री , एक साथ डिग्री या दोहरी स्नातक कार्यक्रम कहा जाता है , दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम एक ही संस्था या अलग-अलग संस्थानों (कभी-कभी अलग-अलग देशों) से पास किये जा सकती है, दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत दोनों डिग्री एक ही विषय क्षेत्र में अथवा दो अलग-अलग विषयों में हो सकती हैं ।)?

हाँ, दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्रा छात्रवृति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

7) क्या इस योजना के दायरे में शामिल सभी पाठ्यक्रम हैं?

सामाजिक न्याय मंत्रालय और सशक्तिकरण (Ministry of Social Justice & Empowerment), Government of India (भारत सरकार) के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति हेतु पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया जाएगा।

8) पात्र छात्र/छात्रा को देय छात्रवृत्ति की राशि क्या है?

छात्रवृत्ति की धनराशि पात्र छात्र/छात्रा के अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है । संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान / कॉलेज यह सत्यापित करेगा कि उम्मीदवारका पाठ्यक्रम सामान्य है या व्यावसायिक।

9) छात्रवृति आवेदन को कौन सत्यापित करेगा? भुगतान कैसे नियंत्रित किया जाएगा?

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान / कॉलेज / आई .टी.आई / स्कूल जिसमें छात्र/छात्रा अध्ययनरत है, सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी/सहायक समाज कल्याण अधिकारी/ शासन द्वारा नामित अधिकारी छात्रवृति का सत्यापन करेंगे । उपर्युक्त स्तरों पर सत्यापित आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

10) यदि छात्रवृति हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के बाद इस दौरान सम्बंधित छात्र/छात्रा द्वारा अपना संस्थान या पाठ्यक्रम को बदला जाता है तो क्या सम्बंधित छात्र/छात्रा का ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्रा नए शैक्षणिक संस्थान हेतु ऑनलाइन स्थानान्तरित होगा ?

नहीं, छात्रवृत्ति के हस्तांतरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

11) अगर छात्र/छात्रा शैक्षणिक सत्र के प्रथम वर्ष या आगामी शैक्षणिक वर्षों में अनुतीर्ण रहता है तो क्या छात्र/छात्रा अपने आवेदन को नवीनीकरण कर सकेंगे ?

नहीं, यदि छात्र/छात्रा प्रथम वर्ष या आगामी शैक्षणिक वर्षों में अनुतीर्णरहता है तो छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन का नवीनीकरण नहीं कर पायेंगे।

12) क्या छात्र प्रवेश के वर्ष के दौरान किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, छात्र केवल एक निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही एनएसपी (https://scholarships.gov.in/) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (समय सारणी का लिंक)

13) यदि छात्र/छात्रा का ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय / संस्थान / कॉलेज / आई.टी.आई / स्कूल द्वारा सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेसित नहीं किया जाता है तो क्या छात्र/छात्रा को छात्रवृति का भुगतान किया जायेगा ?

नहीं, समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उन्ही आवेदनों पर विचार किया जायेगा जो सम्बन्धितविश्वविद्यालय / संस्थान / कॉलेज / आई .टी.आई / स्कूल द्वारा सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेसित किये जायेंगे।

14) छात्र/छात्रा अपने ऑनलाइन आवेदन में भरी जानकारी को कब तक अद्यतन (Update) कर सकते हैं ?

छात्र/छात्रा अपने ऑनलाइन आवेदन में भरी जानकारी को तब तक अद्यतन(Update) कर सकते हैं जब तक ऑनलाइन आवेदन ड्राफ्ट रूप में सुरक्षित है, "Final Submit" बटन क्लिक करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन को अद्यतन (Update) नहीं कर सकते हैं।